न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 21 / 2018 GCMS NO 2018 / 00192

दायरा तिथि : 08.08.2018

आदेश तिथि : 13-8-2018

प्रार्थीगण :–

1. प्रहलादसिंह पुत्र गोविन्दसिंहजी
2. गणपतसिंह पुत्र गोविन्दसिंहजी जातिगण चारण
   निवासीगण धाणदा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. श्रीमति पारसकंवर पत्नि हनवंतसिंहजी जाति राजपुत
   निवासी बमणिया तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. रताराम पुत्र नरींगजी
3. जोधाराम पुत्र नरींगजी
4. जसाराम पुत्र नरींगजी
5. नेनाराम पुत्र नरींगजी
6. गोगी पत्नि नरींगजी तमाम जातिगण जणवा चौधरी
   निवासीगण बमणिया तहसील बाली जिला पाली
7. मृतक वीरमाराम पुत्र धनारामजी जाति जणवा चौधरी
   निवासी बमणिया तहसील बाली के विधिक उत्तराधिकारीगण:–
   7/1 कृष्णपाल पुत्र स्व. स्व. वीरमारामजी
   7/2 पकाराम पुत्र स्व. वीरमारामजी
   7/3 मोहनलाल पुत्र स्व. वीरमारामजी
   7/4 श्रीमति देवी पत्नि स्व. वीरमारामजी तमाम जातिगण जण्वा चौधरी
   निवासीगण बमणिया तहसील बाली जिला पाली (राज0)
   7/5 श्रीमति टीपू पुत्री स्व. वीरमारामजी पत्नि मांगीलाल जाति जणवा
   निवासी बेडल तहसील बाली जिला पाली (राज0)
   7/6 श्रीमति सुखी पुत्री स्व. वीरमाराम पत्नि सवाराम जाति जणवा नि. लाटाडा
   7/8 श्रीमति सोनी पुत्री स्व. वीरमाराम पत्नि तेजाराम जाति जणवा नि. लालराई
8. स्व. तेजाराम पुत्र धनारामजी जाति जणवा चौधरी
   निवासी बमणिया तह. बाली के विधिक वारिशानः
   8/1 सेसाराम पुत्र स्व. तेजारामजी जाति जणवा चोधरी निवासी बमणिया
   8/2 मोहनलाल पुत्र स्व. तेजाराम जाति जणवा चौधरी नि. बमणिया
   8/3 सोनाराम पुत्र स्व. तेजारामजी जाति जणवा चौधरी नि. बमणिया
   8/4 श्रीमति पुनी पत्नि स्व. तेजारामजी जाति जणवा चौधरी नि. बमणिया
   8/5 श्रीमति पौनी पुत्री स्व. तेजारामजी पत्नि गणेशराम जाति जणवा चौधरी
   निवासी बमणिया तहसील बाली जिला पाली (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

आदेश

दिनांक : 13-8-2018

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि मौजा धाणदा तहसील बाली के खसरा नंबर 51 रकबा 1.61 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी पारसकंवर पत्नि हनवंतसिंह जाति राजपुत निवासी बमणिया की खातेदारी भूमि मौजा धाणदा के खसरा नंबर 50 रकबा 1.92 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं अन्य हितबद्ध पक्ष रताराम पुत्र नरींग जाति जणवा चौधरी वगैरा नि. बमणिया की राह खातेदारी भूमि ग्राम बमणिया के खसरा नंबर 172 रकबा 3.23 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

पेज लगातार.................02

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मौखमपुरा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2021/1190 दिनांक 14.07.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम ग्राम धाणदा तहसील बाली के खसरा नंबर 51 रकबा 1.61 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी श्री प्रहलादसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/2, गणपतसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हि. 1/2 जातिगण चारण निवासीगण धाणदा तहसील बाली के खातेदारी की दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरक्त अन्य विकल्प मौजुद नहीं है।

2. यह हैं कि ग्राम बमणिया के खसरा नंबर 172 मंसे भी रास्ता चाहा गया है, किन्तु मौके पर खसरा नंबर 170 किस्म गे.मु. रास्ते तक कदीमी रास्ता खसरा नंबर 50 ग्राम धाणदा में होकर जाता है। जिससे मौके अनुसार ग्राम धाणदा के खसरा नंबर 50 मेंसे रास्ता प्रस्तावित किया गया है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	50	1.92	बा. अव्वल	70 X 5 = 350 वर्गमीटर	पारसकंवर पत्नि हनवंतसिंह जाति राजपुत निवासी बमणिया तह. बाली

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम **धाणदा** की डी.एल.सी.दर 117990/– रूपये प्रति हैक्टयर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं, अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं हैं

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या–01 पारसकंवर पत्नि हनवंतसिंह राजपुत नि. बमणिया को न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पेशी दिनांक 25.09.2018 तामील के बावजुद पारसकंवर नियत पेशी दिनांक 25.09.2018 को न्यायालय में अनुपस्थित रही।तथा अधिवक्ता श्री नेकाराम चौधरी द्वारा आयन्दा वकालतनामा प्रस्तुती के लिये अण्डर टेकिंग लिया गया, परन्तु अण्डर टेकिंग अनुसार अप्रार्थी पारसकंवर की ओर से कोई वकालतनामा श्री नेकाराम चौधरी द्वारा आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही पारसकंवर स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित हुई, जिससे अप्रार्थी पारसकंवर के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। शेष अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता नेकाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, परन्तु आदिनांक तक किसी प्रकार का एतराज आपत्ति पेश नहीं की गई। जिससे शेष अप्रार्थीगण का जबाव अवसर भी बंद किया जाता हैं।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात जाहिर हैं कि **प्रार्थीगण** के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध **नहीं होने से अप्रार्थीगण** की खातेदारी भूमि बमणिया के खसरा नंबर 50 रकबा 1.92 हैक्टर एवं खसरा नंबर 172 रकबा 3.23 हैक्टर मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया रेकर्डेड रास्ता चाहा गया है। जिस पर तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। जिससे तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मौखमपुरा द्वारा पत्रांक राजस्व/2021/1190 दिनांक 14.07.2021 से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा धाणदा तहसील बाली के खसरा नंबर 51 रकबा 1.61 हैक्टर किरम बारानी अव्वल में आवागमन के लिए अप्रार्थी पारसकंवर पत्नि हनवंतसिंह जाति राजपुत निवासी बमणिया की खातेदारी **भूमि मौजा धाणदा के** खसरा नंबर 50 रकबा 1.92 हैक्टर किरम बारानी अव्वल मेंसे कुल **350 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 117990/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
50	1.92	70 X 5 = 350 वर्गमीटर	11.80	4103 X2=8206	पारसकंवर पत्नि हनवंतसिंह जाति राजपुत निवासी बमणिया तह. बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 21/2018 GCMS NO 2018/00192
अनवान प्रहलादसिंह वगैरा बनाम पारसकंवर वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **8206/– (अक्षरे आठ हजार दो सौ छः)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदारान् द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 16-08.2021

क्रमॉक/कोर्ट/2021/ 804-808
प्रतिलिपि पालनार्थः–

1. त्हसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा
3. पटवारी हल्का, मौखमपुरा
4. तहसील राजस्व लेखकार तहसील बाली
5. प्रार्थीगण प्रहलादसिंह पुत्र गोविन्दसिंहजी

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

Scanned with CamScanner